न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

मांक रीडर / 2025 / 5022 दिनांक – 04/06/25

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मूली देवी पत्नि बाबुलाल जाति जटिया निवासी शास्त्रीनगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 मंगलाराम पुत्र महादान जाति भील 2 सवाईराम पुत्र जवाराराम 3 भगवानाराम पुत्र लुणाराम जाति मेघवाल निवासी आदर्श महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–522 / 2024 दिनांक–30/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर भूमि खसरा संख्या 2452 / 428 रकबा 0.6475 हेक्टयर, भुमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस / पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर / 2025 / 5023–26 दिनांक– 04/06/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर ... निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीनी मूली देवी पत्नि बाबुलाल जाति जटिया ... शास्त्रीनगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मंगलाराम पुत्र महादान जाति भील निवासी आदर्श महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested